न्यायालय जिला कलेक्टर एंव प्रथम अपील अधिकारी ,टोंक

प्रकरण संख्या 19/2026

श्री कमल धाप निवासी हीरा चौक पुरानी टोंक जिला टोंक ––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव उप जिला निर्वाचन अधिकारी टोक ––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक **09.04.2026**

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव उप जिला निर्वाचन अधिकारी टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 15.12.2025 प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई:–

नगरपषिद आम चुनाम 2019 में कांग्रेस प्रत्यासी श्री विष्णु कुमार टांक वार्ड नं. 42 के नाम निर्देशन पत्रों की मय दस्तावेज छायाप्रति प्राप्त करना चाहता है।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी चुनाव शाखा कलेक्ट्रेट टोंक को पत्र कमांक 285 दिनांक 13.02.2026 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव उप जिला निर्वाचन अधिकारी टोक ने पत्र कमांक 1929 दिनांक 24.02.2026 से जवाब प्रति प्रेषित किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचनां का संबंध लोक सूचना अधिकारी एंव निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) टोंक से होने से उनके पत्र कमांक 1775 दिनांक 09.02.2026 से प्रार्थना पत्र अन्तरित करते हुए कमांक 1776 दिनांक 9.02.2026 से अपीलान्ट को सूचित किया गया है। अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एंव निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) टोंक को पत्र कमांक 385 दिनांक 26.02.2026 व 507 दिनांक 13.03.2026 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी एंव निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) टोंक ने पत्र कमांक 636 दिनांक 13.03.2026 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनां उनके पत्र कमांक 617 दिनांक 06.03.2026 से उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उप जिला निर्वाचन अधिकारी टोक, लोक सूचना अधिकारी एंव निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(टीना डाबी)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर राजस्थान